

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2838]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013/अग्रहायण 28, 1935

No. 2838]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2013/AGRAHAYANA 28, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(यूटीआई और जेपीसी अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3728(अ.).—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा दिनांक 30 नवम्बर, 2007, 30 जून, 2009, 11 अगस्त, 2009, 14 जुलाई, 2010, 30 सितम्बर, 2010, 31 दिसम्बर, 2010, 28 मार्च, 2011, 12 जनवरी, 2012, 27 अप्रैल, 2012, 3 जुलाई, 2012, 21 सितम्बर, 2012, 21 मार्च, 2013 और 5 जुलाई, 2013 की समसंख्यक अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा केंद्र सरकार के लिए तथा उसकी ओर से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रबंधन का कार्य करने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक (अंशकालिक) रूप में श्री के. एन. पृथ्वीराज की नियुक्ति को 01.01.2014 से 30.06.2014 तक अगले छह माह की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने के लिए अनुमोदन करती है।

2. उनकी नियुक्ति की शर्तें तथा निबंधन वही होंगे जो श्री पृथ्वीराज, प्रशासक (अंशकालिक), भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम को इस विभाग के तारीख 19.12.2007 के समसंख्यक पत्र द्वारा पहले ही संसूचित किए गए थे।

[फा.सं. 5/32/2003-यूटीआई एवं जेपीसी-खंड-II]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(UTI & JPC Section)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2013

S.O.3728 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (No. 58 of 2002) and in partial modification of Notifications of even number dated 30th November, 2007, 30th June 2009, 11th August, 2009, 14th July, 2010, 30th September, 2010, 31st December, 2010, 28th March, 2011, 12th January, 2012, 27th April, 2012, 3rd July, 2012, 21st September, 2012, 21st March, 2013 and 5th July, 2013, the Central Government hereby approves the continuation of Shri K.N. Prithviraj as the Administrator (Part-time) of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) for carrying on the management of SUUTI for and on behalf of the Central Government for a further period of six months with effect from 01.01.2014 to 30.06.2014 or until further orders, whichever is earlier.

The terms and conditions of his appointment shall be the same as had already been communicated to Shri Prithviraj, Administrator (part-time) SUUTI vide this Department's letter of even number dated 19.12.2007.

[F.No. 5/32/2003 - UTI & JPC—Vol-II]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.